न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या :: 17/2012
जी.सी.एम.एस. :: 2012/00146

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली		गीता पत्नी शैतानराम जाति देवासी निवासी बिठोडा कला तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी के ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 11.3.2024

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–11 में ग्राम बिठौडा कला के खसरा नम्बर 1125 एवं 1127 कुल खसरा 2 कुल रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा की भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी बएतमाम पुजारी नारायणदास वल्द हेमदास के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जैर आराजी में से पुजारीयों द्वारा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अवैधानिक तरीके से भूमि विक्रय कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)के विपरित है। जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 1520 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1524 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि है। पुजारी नारायणदास पुत्र हेमदास द्वारा जैर आराजी भूमि हरीराम पुत्र चेनाराम राईका को जरिये बैचान नामान्तकरण संख्या 40 के विक्रय कर दी। बाद खरीद हरीया पुत्र चेना जाति राईका ने जरिये बेचान पेपी बाई पत्नी भंवरलाल के पक्ष में नामान्तरकरण सख्या 1160 से बेचान कर दी, जिसे बाद क्रेता से अप्रार्थी गीता पत्नी शैतानराम जाति देवासी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1197 दिनांक 05.04.2011 द्वारा बेचान कर दिया एवं अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ है। चुंकि उक्त भूमि डोली की थी, जिसका विक्रय कानूनन नही किया जा सकता, परन्तु पुजारीयों द्वारा अपने निजी स्वार्थवश विक्रय किया है। अतः धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि उत्तरदाता की खुद काश्त है एवं वक्त सेटलमेन्ट अप्रार्थी के नाम दर्ज है। भु–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा वक्त सेटलमेंन्ट से राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों में परिवर्तन करते हुए अप्रार्थी का नाम दर्ज हुआ है। राजस्थान भु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 24 के अनुसार सहायक भु प्रबन्धक अधिकारी जिला कलेक्टर के अधीन न होकर भु प्रबधंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

अति. जिला कलक्टर, पाली

आयुक्त के अधीन होते है, जिसके संबध मे रेफरेन्स हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी नही है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरूद्ध ही धारा 82 में कलेक्टर महोदय के समक्ष तहसीलदार रेफरेंस पेश करने की अधिकारिता रखता है। भु प्रबंध विभाग द्वारा पारित आदेश के संबध में तहसीलदार अधिकारिता नही रखता है। जैर प्रार्थना पत्र नियमों के विरूद्ध पेश किया गया है, जो नियम विरूद्ध होने से खारीज योग्य है।

सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–11 में ग्राम बिठौडा कला के खसरा नम्बर 1125 एवं 1127 कुल खसरा 2 कुल रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी बएतमाम पुजारी नारायणदास वल्द हेमदास के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जैर आराजी में से पुजारीयों द्वारा अवैधानिक तरीके से भूमि विक्रय कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)के विपरित है। जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 1520 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1524 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल भूमि है। पुजारी नारायणदास पुत्र हेमदास द्वारा जैर आराजी भुमि हरीराम का, हरीराम ने पेपी बाई को, आगे पेपी बाई ने अप्रार्थीया गीता पत्नी शैतानराम जाति देवासी को बेचान कर दी जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 1197 दिनांक 05.04.2011 द्वारा अप्रार्थीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। चूंकि उक्त भूमि डोली की थी, जिसका विक्रय कानूनन नही किया जा सकता, परन्तु पुजारीयों द्वारा अपने निजी स्वार्थवश विक्रय किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मन्दिर की भूमि का निजी हितार्थ बेचान हुआ है तथा सिलसिलेवार हुए बेचान के आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1520 एवं 1524 की भूमि गीतादेवी पत्नी शैतानराम जाति देवासी देह खातेदार अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के विरूद्ध भूमि पुजारी के नाम दर्ज होकर बेचान हस्तान्तरण होने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है। अधिवक्ता अप्रार्थी को अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर दिये जाने के बावजुद भी न्यायालय में दस्तावेज पेश नही किये। अतः डोली बनाम मन्दिर की भूमि का अवैध हस्तान्तरण होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 28.09.1977, 1160 दिनांक 13.11.2010 एवं 1197 दिनांक 05.04.11 को यथावत रखा जाना विधि सम्मत नही है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम बिठोडा कलां के नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 28.09.1977, 1160 दिनांक 13.11.2010 एवं 1197 दिनांक 05.04.2011 को अपास्त करते हुए ग्राम बिठोडा कलां तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 1520 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1524 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की किस्म पुनः डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली